



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939

No. 103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 189 (अ).— विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार गैस सिलेंडर नियम, 2016 के संशोधन का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 17 जुलाई, 2017 में, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 886(अ), तारीख 17 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

और उक्त अधिसूचना जनता को तारीख 17 जुलाई, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के नियम 2 में,

(क) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(िक) “ऑटो एलएनजी” से ऑटोमोटिव ईंधन के लिए बनी द्रवित प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है; ;

(ख) (xxiii) “गैस सिलेंडर” या “सिलेंडर” से आरम्भ होने वाले कोष्ठकों, अंकों और शब्दों तथा “व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक न हो” से समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(xxviii) “गैस सिलेंडर” या “सिलेंडर” से संपीडित गैस के भण्डारण और परिवहन के लिए आशयित कोई बंद धातु आधान अभिप्रेत है, जिसका आयतन 500 मिली से अधिक किन्तु 1000 लीटर से अनधिक है, जो किसी मोटरयान में इसके ईंधन टैंक के रूप में लगाया गया कोई द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) आधान या द्रवित प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आधान अथवा संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) सिलेंडर हेतु आशयित है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी विशेष परिवहन या अवचक्र में लगाया गया ऐसा कोई अन्य आधान नहीं है और जिसमें कम्पोजिट सिलेंडर और क्रायोजनिक आधान भी सम्मिलित है, तथापि, सी.एन.जी. नाइट्रोजन या संपीडित वायु के भण्डारण के लिए प्रयुक्त सिलेंडर की जलीय क्षमता 1000 लीटर से 3000 लीटर तक अधिक हो सकती है, परंतु तब जबकि ऐसे सिलेंडर का व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक न हो ;’

(ग) खंड (xxxviii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(xxxviii) “द्रवित प्राकृतिक गैस” से क्रायोजनिक अवस्था में एक द्रव अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से मिथेन से बना है ;’

[फा. सं. 2(1)2017-विस्फो.]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1081(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

G.S.R. 189(E). — WHEREAS the draft of the amendment of the Gas Cylinders Rules, 2016 was published as required by section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i), dated the 17th July, 2017, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number, G.S.R. 886(E), dated the 17th July, 2017 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty five days from the date on which the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 17th July, 2017;

AND WHEREAS, no objection or suggestion has been received;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government thereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely :-

1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Gas Cylinders Rules, 2016, in rule 2,-
(a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
‘(ia) “Auto LNG” means a liquefied natural gas meant for automotive fuel;’;

- (b) for the portion beginning with the brackets, figures and words ‘ (xxiii) “gas cylinder” or “cylinder” ’ and ending with the words and figures “ such cylinder does not exceed 60 cm”, the following shall be substituted, namely :-

‘(xxviii) “gas cylinder” or “cylinder” means any closed metal container having a volume exceeding 500 ml but not exceeding 1000 liters intended for the storage and transport of compressed gas, including any liquefied petroleum gas (LPG) container or liquefied natural gas (LNG) container or compressed natural gas (CNG) cylinder fitted to a motor vehicle as its fuel tank but not including any other such container fitted to a special transport or undercarriage and includes a composite cylinder and cryogenic container, however, the water capacity of cylinder used for storage of CNG, nitrogen or compressed air may exceed 1000 liters up to 3000 liters provided the diameter of such cylinder does not exceed 60 cm;’;

- (c) after clause (xxxviii), the following clause shall be inserted, namely :-

‘(xxxviii-a) “liquefied natural gas” means a fluid in the cryogenic liquid state composed predominantly of methane;’.

[F. No. 2(1)/2017-Expls.]

SHAIENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note: – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1081(E), dated the 22nd November, 2016.